न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 53/2025

ऑनलाईन नम्बर 2025/108

निर्णय दिनांक | 8.12.2025

लिछुराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी धीरदेसर चौटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

राजस्थान सरकार ज़रिये तहसीलदार भू राजस्व श्रीडूंगरगढ़

—प्रतिवादी—

उपस्थितिः—

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादी की और से वादपत्र निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत है कि वादी के सयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 791 तादादी 14.7300 हैक्टेयर रोही धीरदेसर चौटियान में स्थित है जिसमें वादी का नाम लिछुराम की जगह लच्छीराम दर्ज कर दिया जबकि वादी का वास्तविक नाम लिछुराम था वादी का नाम बिना जांच किये ही वादी का नाम लच्छीराम लिख दिया जबकि वादी का नाम लिछुराम दर्ज होना चाहिए था। उक्त खेतों पर वादी का कब्जा—काश्त एंव उपयोग उपभोग चला आ रहा है। वादी ने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाकर बैंक में आवेदन किया तब बैंक ने राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादी से पहचान के सबूत मांगे एवं वादी का नाम सही नही होने से वादी को बैंक ने ऋण देने से इनकार कर दिया वादी के पहचान पत्र राशन कार्ड एवं शिक्षा के दस्तावेज लिछुराम नाम से बने हुए है जिससे बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड बनाने से इनकार कर दिया एवं कहा कि राजस्व रिकार्ड में नाम सही करवाने पर ही लोन दिया जायेगा तब वादी ने प्रतिवादी से राजस्व रिकार्ड में नाम अपने पहचान पत्र के अनुसार करने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादी ने रिकार्ड सही करने से इनकार कर दिया। वादी के पिता की विरास्त की भूमि है जो वादी को विरास्त में प्राप्त हुंई है वादी के खेत के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम लिछुराम की जगह लच्छीराम दर्ज कर दिया है जिसको वादी सही करवाने का अधिकारी है । वादी के खेत के राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम के वादी का नाम पहचान के दस्तावेजों के विपरीत होने से कई तरह की परेशानिया आती है एवं वादी अपने खेत पर केसीसी बनाने एवं सरकार की विभिन्न योजनाओ का लाभ उठाने से वचिंत हो रहा है जिससे वादी अपने खेत को विकसित करने से वचित है। वादी अपने के पहचान के सबूत में लिछुराम होने से वादी अपने खेत के राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम लिछुराम दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी ने अपने खेत पर केसींसी के लिये राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तो वादी को पता चला कि वादी का नाम लच्छीराम दर्ज है जिसको सही करवाने के लिए प्रतिवादी से सम्पर्क किया तो प्रतिवादी ने नाम सही करने से इनकार कर दिया प्रतिवादी के इन्कार करने के दिन से ही वादी को वाद हेतु हासिल है। वादी ने उक्त दावा में राजस्थान सरकार को पक्षकार संयोज़ित किया गया है स्टैट के विरूद्ध दावा दायर करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है स्टैट को नोटिस दिया जाकर दो माह का इन्तजार किया जाता है तो केसीसी का सीजनल समय निकल जायेगा और वादी को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त दावा में स्टैट के विरूद्ध कोई अनुतोष नही मागा गया है स्टैट द्वारा राजस्व रिकार्ड का संधारण एंवं दावा में स्टैट के रिकार्ड में संशोधन किया जाता है इसलिए स्टैट को पक्षकार संयोजित किया गया है। वादगत खेत रोही धीरदेसर चौटियान के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:36:30 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती का है जिसका श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान हाजा न्यायालय को प्राप्त है । यह कि वादी का दावा पूर्ण न्याय शुल्क एवं समयावधि के अन्दर मियाद प्रस्तुत है । अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से आदेश फरमानें की कृपा करें।

(क) कि वादी संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 791 तादादी 14.7300 हैक्टेयर रोही धीरदेसर चौटियान में लच्छीराम की जगह लिछुराम घोषित किया जावें ।

(ख) कि प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि वादी खेत खसरा नम्बर 791 तादादी 14.7300 हैक्टेयर रोही धीरदेसर चौटियान में लच्छीराम की जगह लिछुराम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में सशोधन करें ।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादी हो जावें वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावें ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाबदावा पेश किया गया। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी की ओर से साक्ष्यवादी के रूप में शपथ पत्र पेश कर दस्तावेज प्रदर्श 1 से 2 व प्रदर्श 3ए से 7ए दावें के समर्थन में पेश किये गये। जिरह प्रतिवादी शून्य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 791 तादादी 14.7300 हैक्टेयर रोही धीरदेसर चौटियान में लच्छीराम के स्थान पर लिछुराम घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यथावत रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2005 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:36:30 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी शुभम शर्मा आरएएस

उनवान

लिछुराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी धीरदेसर चौटियान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू राजस्व श्रीडूंगरगढ़

मुकदमा नम्बर 53/2025
दावा बाबतः घोष्णात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती
निर्णय दिनांक 18.12.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री राजूराम बाना अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी स्टेट की ओर से पैरोकारराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 791 तादादी 14.7300 हैक्टेयर रोही धीरदेसर चौटियान में लच्छीराम के स्थान पर लिछुराम घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन यथावत रहेगा। **तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।**

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी.......... तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 18 माह 12 सन् 2025 को जारी किया गया ।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अंर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:36:30 IST
Reason: SelfAttested